

<b>12</b>	<b>जन्मसूची</b>	<b>18 फरवरी, 2025</b>
-----------	-----------------	-----------------------

**यस बैंक लिमिटेड** पंजीकृत कार्यालय: यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सैदाकुज (पूर्व), मुंबई- 400555 वेबसाइट: [www.yesbank.in](http://www.yesbank.in)

**कच्चा नोटिस** (नियम 8 (1) के तहत - अचल संपत्ति के लिए)

दिल्ली आसितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत नीचे हस्ताक्षरकों तथा बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रदात शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित संबंधित उपधारकों को मांग नोटिस जारी कर, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत संबंधित नोटिस में उल्लिखित शक्तियों को 60 दिनों की अवधि के भीतर चुकाने का आदेश किया है। संबंधित उपधारकों को चुकाने में विफल रहने के कारण, उपधारकों तथा आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकों ने नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) अंतर्गत प्रदात शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्तियों पर प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संबंधित उपधारकों और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्तियों से कोई लेन-देन न करें और इन संपत्तियों से कोई भी लेन-देन यस बैंक लिमिटेड द्वारा नीचे उल्लिखित संबंधित संपत्ति के साथ-साथ अनुबंधित दर पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।

उपधारकों का नाम	नोटिस की तिथि यू.एन. 13(2)	नोटिस में शक्ति (रु.)	प्रतीकात्मक कब्जे की तिथि
1) श्री शशंत हुसैन ("उपधारकों और बंधककर्ता") और	05-नवंबर-2024	28 अनुसूचित, 2024 तक रु. 10,57,245.68/- (सबसे दस लाख सत्तावन हजार दो सौ पचास बीस तथा अड़सठ पैसे मात्र)	12-फरवरी-2025
2) सुश्री अंजु ("सह-उपधारकों और बंधककर्ता")			

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: डीडीएच निर्मित फ्रीहोल्ड फ्लैट नंबर 124, क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर, ग्रांड फ्लोर पर, जना भौमि के अंतर्गत, पॉस्ट-2, ब्लॉक-3, सेक्टर-ए-6, नईला आवासीय योजना के लेआउट प्लान में स्थित, नईला, दिल्ली-110040

यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि संश्लेषित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत, जहां सुरक्षित लेनदार की बकाया संपत्ति के साथ-साथ सुरक्षित लेनदार द्वारा प्राप्त किए गए सभी संपत्ति और अन्य सार्वजनिक नीलामी/बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किराये को साम्य सुरक्षित लेनदार को सीधे जमा देना है, सुरक्षित परिसरों को बेचना या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और उस सुरक्षित परिसरों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कचन नहीं उठाना जाएगा।

दिनांक: 18.02.2025, स्थान: दिल्ली हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, कृते यस बैंक लिमिटेड

**एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय:- सुरक्षित नंबर 103, जयजल, सी. एंडी भी स्वचालक, चंद्रमग कोंफ्लेक्शन, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्लीरोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059

**कच्चा सूचना**  
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जबकि अयोध्यावासी सुरक्षाकरण, वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कच्चा सूचना हित (प्रवर्तन) के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत नीचे वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 2002 के तहत उपधारकों को मांग नोटिस जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि उक्त नोटिस को प्राधिकृत शक्तियों के अंतर्गत 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित शक्तियों चुकानी होंगी। उपधारकों/सह-उपधारकों/वर्तमान चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उपधारकों/सह-उपधारकों और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकों ने उक्त प्रदात शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित नीचे दी गई शक्तियों का काम कर लिया है। विशेष रूप से उपधारकों/सह-उपधारकों और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.सं.	आधारकर्ता का नाम और पता	संपत्ति का विवरण और कब्जे की तारीख	कच्चा नोटिस में मांगी गई राशि (रु.)
1.	1. <b>पियम राजपूर,</b> 2. <b>चंद्रेश कुमार,</b> 3. <b>दिवा,</b> 4. <b>पियम राजपूर,</b> 5. <b>कृपण सिंह,</b>	संपत्ति का यह पूरा टुकड़ा, विसका क्षेत्रफल 97.78 वर्ग मीटर है, मोहल्ला फले गंज दक्षिण (सुनारों वाली गली) जिला मुजफ्फर नगर, सिवार है और संपत्ति की सीमा इस प्रकार है- पूर्व- महान अंजु और सड़क 7 फीट चौड़ी, पश्चिम- सुबील रस्तानी का मकान, उत्तर- सड़क 11 फीट चौड़ी, दक्षिण- गणेशचरण रस्तानी का मकान। कब्जे की तिथि: 13 फरवरी, 2025।	97.15 लाख रु. 15,72,075/- (रु. पन्द्रह लाख सत्तावन हजार पचास मात्र) तथा 20 सितंबर 2024 की तिथि से अनुसूचित ब्याज।

सुरक्षित संपत्तियों को चुकाने के लिए उपलब्ध सभी संसंध में, उपधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी) एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड।

**स्थान – मुजफ्फर**  
दिनांक: – 18-02-2025

**AXIS BANK** सुरक्षा परिवर्तन के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर ई-2, द्वितीय तल, आई-14, सेक्टर-128, जोध्या एक्स्प्रेसवे, केंपी जीएच एक्सप्रेस वे गिरधरपुरम, कोयंब (पूर्व)-201301, एक्सिस बैंक लिमिटेड ब्लाक-ए-2, प्रथम तल, आदित्य सिटी सेंटर, जैती कुंड-1, हरियाणु, आजीमगढ़-201012, एक्सिस लिमिटेड, दिल्ली हाउस, अंधेरी रोड और प्रथम तल, क्लबहाउस लाई मार्ग, अंधेरी ईस्ट-1, नई दिल्ली- 110001, डिजिटल सेवाएँ: ब्लॉक-बी, बॉस ग्रान्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पार्सल बुकबंद मार्ग, वर्ग, मुंबई-400 025, पंजीकृत कार्यालय: क्रिष्ण, तृतीय तल, कावेरिडय अड्डे के सामने, कोयंब, एंडीआर, एंडीआर, आंध्रप्रदेश-580006

**मांग नोटिस**  
जैसा कि एक्सिस बैंक लिमिटेड से यहाँ नीचे वर्णित उपधारकों/सह-उपधारकों/गारंटोरों/बंधककर्ताओं ने वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के कारण वे उपधारकों/गारंटोरों/बंधककर्ताओं ने निगत शक्तियों के अनुसार कच्चा सूचना प्रवर्तन अधिनियम में विधिना पुर्ण की है। और इसलिए, आज को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित अधिनियम/रिजॉल्यूशनों के अनुसार यहाँ नीचे वर्णित शक्तियों का प्रयोग करने के रूप में निर्धारित कर दिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप, एतद्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसरों के अधिनियम तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदात शक्तियों के प्रयोग/अभ्यासे, यहाँ सूचित की जा रही है कि वित्तीय संबंधित शक्तियों को प्रवर्तन/अभ्यासे अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी की गई, जिसमें निर्दिष्ट/लिखित उपधारकों/गारंटोरों/बंधककर्ताओं को चुकाने की आवश्यकता है। संपत्तियों को चुकाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रदात शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित नीचे दी गई शक्तियों का काम किया जा रहा है। विशेष रूप से उपधारकों/सह-उपधारकों/गारंटोरों/बंधककर्ताओं के ध्यान में लाया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.सं.	शाखा / ऋणी / गारंटर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	ऋण का प्रकार	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस को अनुसर करण का तिथि
1.	1. शाखा: कनकला हरिद्वार, ऋणी: श्री राजू द्वारा सुरक्षित, पता नं. 1 ई-39, यू.एन.ए. नगर, क्षेत्र नंबर 1, साधु परिवार, जिला पूरबी दिल्ली, दिल्ली। पता नं. 2: प्लॉट नं. 35 और 36 पार्सल नं. 56, धरम नं. 328/1 हनुमानपुर कुशीनी, जालंधर, पंजाब हरियाणा- 294908।	सम्पत्ति नं. 1: बंधक समी अवासोप संपत्ति प्लॉट नं. 35, भूमि क्षेत्रफल माप पूर्व- 30.7 फीट, पश्चिम- 30.6 फीट, उत्तर- 20 फीट और दक्षिण- 20 फीट जिसका कुल क्षेत्रफल माप 633 वर्गमीटर अर्थात 58.82 वर्गमीटर जिसका क्षेत्रफल नं. 328/एन/1, सिवार पार्सल नं. 56, हनुमानपुर पुरपुर गुरुद्वारा कुशीनी, ग्राम जगजीतपुर, जालंधर जिला हरियाणा। सीमाएं- पूर्व- प्लॉट नं. 36, पश्चिम- अन्य ब्याज बैंक प्लॉट, उत्तर- प्लांट फाउंडेशन की भूमि, दक्षिण- 20 फीट चौड़ी सड़क। Cersaid: 4000718111679, बंधक धारक का नाम- श्री राजू द्वारा सुरक्षित कुमार।	Housing Loan	10.02.2025	10.02.2025
2.	1. शाखा: हरिद्वार, जालंधर, ऋणी: श्री कृष्णपाल मुखिया शिवलाल सिंह, म.नं. 193, जगन्नाथपुर, कैंना, हरिद्वार - पञ्च प्रदेशों में, 2. राधा पत्नी कृष्णपाल, 193 का, जगन्नाथपुर कैंना, जालंधर, 3. सुभद्रा चौधरी पत्नी अरविन्द कुमार चौधरी, म.नं. 80, खाना नगर, जालंधर।	बंधक समी अवासोप संपत्ति प्लॉट नं. 36, भूमि क्षेत्रफल माप पूर्व- 26.5 फीट, उत्तर- 20 फीट और दक्षिण- 18 फीट जिसका कुल क्षेत्रफल माप 538.31 वर्गमीटर अर्थात 50.03 वर्गमीटर जिसका क्षेत्रफल नं. 328/एन/1, सिवार पार्सल नं. 56, हनुमानपुर गुरुद्वारा कुशीनी, ग्राम जगजीतपुर, जालंधर जिला हरियाणा। सीमाएं- पूर्व- अन्य की भूमि, दक्षिण- प्लॉट नं. 35, उत्तर- प्लांट फाउंडेशन की भूमि, दक्षिण- 20 फीट चौड़ी सड़क। Cersaid: 4000718111679, बंधक धारक का नाम- श्री राजू द्वारा सुरक्षित कुमार।	Housing Finance	10.02.2025	10.02.2025

**चोला इन्व्स्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड**

कार्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेंटर, सी 54 एवं 55, सुरपुर बी-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, मिन्की, केनई-600032, भारत, शाखा कार्यालय: प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

**कच्चा सूचना नियम 8(1) के अधीन**

जबकि, अयोध्यावासी ने मैसर्स चोलाइंडल इन्व्स्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन आगे प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदात शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित नीचे दी गई शक्तियों का काम कर लिया है। विशेष रूप से उपधारकों/सह-उपधारकों और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.सं.	आधारकर्ता का नाम एवं पता	कच्चे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कच्चे का प्रकार
1.	(ऋण खाता सं. HE01ELD00000009220, HE01ELD00000025024) निमित्त डुआ (अर्थादक) 2. अनिता डुआ (सह-आर्धक) 3. रामनारायण साहू (सह-आर्धक) 4. कृष्ण डुआ (सह-आर्धक) 5. गन्धा सूर्यवंशी (सह-आर्धक)	मकान नंबर 95, सेक्टर-15ए, परियोजना 275.60 वर्ग मज, निकट जगन्नाथ मंदिर, एस्कॉर्ट नगर, फरीदाबाद, हरियाणा-121007 चौधदही निम्नानुसार :- पूर्व: 100 नंबर 96, पश्चिम: साहू नंबर 94, उत्तर: साहू नंबर 94 रोड, दक्षिण: 30 फीट चौड़ी रोड	(ऋण)

तथि: 17-02-2025 स्थान: दिल्ली/पुनरीआर, फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी: चोलाइंडल इन्व्स्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

**कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड**

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय 502, टावर-ए, पॉपिन्यूला बिजनेस पार्क, सेनापति बाघट मार्ग, लोअर फरेल, मुंबई-400013 सार्वजनिक कार्यालय पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005

**मांग सूचना**

दिल्ली आसितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत। अयोध्यावासी, वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत नोटिस जारी किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदात शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी की है, जिसमें निर्दिष्ट/लिखित उपधारकों/गारंटोरों/बंधककर्ताओं को चुकाने की आवश्यकता है। संपत्तियों को चुकाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रदात शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित नीचे दी गई शक्तियों का काम कर लिया है। विशेष रूप से उपधारकों/सह-उपधारकों और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.सं.	कार्यदार (सी)/गारंटर (सी) का नाम	मांग सूचना तिथि और राशि	प्रतिभूति आसित का वर्णन (अचल सम्पत्ति)
1.	1. L.N.H.P.S3000113879 (पुराना) 5120000070519 (नया) (पूरा रोड शाखा) श्री हजाराजी की (कर्जदार) श्रीमती धनवती डी, श्री इन्द्रजीत (सह-कर्जदार) (ऋण खाता सं. 2)	10-02-2025 रु. 26,88,861	सम्पत्ति के समी अंश एवं खंड: भूमि एवं मकान के रूप में आवासीय प्लॉट नंबर डी, प्रथम तल, वरिष्ठ छात्र, सुरपुर एरिया परियोजना 88 वर्ग मीटर तथा कार्पोरेट एरिया 6, एच.ए.ए. नंबर 68, प्लाट नंबर 62 का भाग, सिवार: - प्लॉट नंबर 61, उत्तर: साहू 20 फीट चौड़ा, पश्चिम: साहू 10 फीट चौड़ा नगर, उत्तर प्रदेश-201306
2.	1. L.N.H.LN01000002004 (पुराना) 5120000077832(नया) (नोका शाखा) श्रीमती हिना मिश्रा (कर्जदार) (ऋण खाता सं. 3)	06-02-2025 रु. 9,25,997	सम्पत्ति के समी अंश एवं खंड: भूमि एवं मकान के रूप में प्लॉट नंबर 202, द्वितीय तल, एरिया परियोजना 52 वर्ग मीटर, नंद रेजीडेंसी, प्लॉट नंबर 1, नंद बार्डिका काला, मी, फेज-3, खसरा नंबर 191, नाम गिष्करपुर सुनारसी, परगना एवं तहसील दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301
3.	1. L.N.H.E.N03000137140 (पुराना) 50800000593919 (नया) (नोका शाखा) श्री हिमांशु बबलर (कर्जदार) श्रीमती अनिल शर्मा (सह-कर्जदार) (ऋण खाता सं. 4)	03-02-2025 रु. 1,15,18,200	सम्पत्ति के समी अंश एवं खंड: भूमि एवं मकान के रूप में फ्रीहोल्ड आवासीय निर्मित सम्पत्ति सं. बी-62, भूमि क्षेत्रफल परियोजना 160 वर्ग मज, खसरा नंबर 838 एवं 839 का भाग, सिवार: राजसे सम्पदा ग्राम नवदा, माजरा हस्तसाह, आबादी कालोनी आनंद विहार, ब्लॉक बी, उदयपुर नगर, नई दिल्ली, केन्द दिल्ली, दिल्ली-110059, चौधदही निम्नानुसार :- पूर्व: प्लॉट नंबर 62 का भाग, सिवार: प्लॉट नंबर 61, उत्तर: साहू 20 फीट चौड़ा, पश्चिम: साहू 10 फीट चौड़ा
4.	1. L.N.H.E.P1000115321 (पुराना) 53000005966211 (नया) (पूरा रोड शाखा) श्रीमती कुसुम लाला (कर्जदार) श्री रवि कुमार (सह-कर्जदार) (ऋण खाता सं. 5)	06-02-2025 रु. 12,34,679	सम्पत्ति के समी अंश एवं खंड: भूमि एवं मकान के रूप में डीडीएच फ्रीहोल्ड, साम्य प्रथम तल, एरिया परियोजना 52 वर्ग मीटर, नंद रेजीडेंसी, प्लॉट नंबर 1, नंद बार्डिका काला, मी, फेज-3, खसरा नंबर 191, नाम गिष्करपुर सुनारसी, परगना एवं तहसील दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301
5.	1. L.N.H.I.G0000048018 (पुराना) 51600000890160 (नया) (नोका शाखा) श्री शालू आर (कर्जदार) श्रीमती निखा एच (सह-कर्जदार) (ऋण खाता सं. 6)	07-02-2025 रु. 19,14,821	सम्पत्ति के समी अंश एवं खंड: भूमि एवं मकान के रूप में फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट, एरिया परियोजना 151 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 370 तथा 372 का भाग, ग्राम देवला, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201307, चौधदही निम्नानुसार :- पूर्व: बाबू का मकान, पश्चिम: श्याम का प्लॉट, उत्तर: देवरा का मकान, दक्षिण: रास्ता 12 फीट चौड़ा

यदि उक्त कर्जदार एकाधिकारकर्ता को उपरोक्तानुसार भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उपरोक्तानुसार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदात शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उक्त कर्जदार/आधारकर्ता को अधिकृत अधिकारी को प्रबन्धित अधिकार प्राप्त होंगे। उक्त अधिनियम के तहत, एसबीएफसी को पूर्ण लिखित सहायता के बिना, उपरोक्त आसितियों को बिक्री, पट्टा अधिनियम विमोचन करते हैं। उक्त अधिनियम के तहत, एसबीएफसी को पूर्ण लिखित सहायता के बिना, उपरोक्त आसितियों को बिक्री, पट्टा अधिनियम प्रयोग से अतिरिक्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा तदानी बिक्री नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन हेतु अभिप्रेत करता है, उक्त अधिनियम के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार कारावास तथा/अथवा आर्थिक दण्ड का भागी होगा।

स्थान: दिल्ली हस्ता/-, (प्राधिकृत अधिकारी) वास्तु केंद्री ग्लोबल हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (सीजीएफएफसी)

**आईएफसीआई लिमिटेड** बनाम मैं, सुरस्टेक लिमिटेड के प्रवर्तन गारंटर या कर्जदार अर्थात् अर्थात् के मामले में तथि 11.02.2025 की सार्वजनिक सूचना का शुद्धिपत्र

कि, अयोध्यावासी जिन्हें उक्त मामले में प्रदात कर्मी नियुक्त किया गया है, ने दिवाला तथा दिवालिया मंडल सहित, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत तथा श्राप अर्थात् अर्थात्, मैं, सुरस्टेक लिमिटेड के संसंध, गारंटर के क्रेडिटों के ध्यानार्थ माननीय एसबीएफसी, नई दिल्ली पार्सल iv के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी किया है। उक्त सूचना में क्रमांक 4 में दावे नाम करने की अंतिम तिथि 25.2.2025 वर्णित है। जबकि, दावे नाम करने की अंतिम तिथि 04.03.2025 पढ़ी। समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के शेष विवरण अपरिचलित रहेंगे।

हस्ता:-/

विशेष कर्मा अखाल तिथि: 17.02.2025 IBBI/IPA-001/IP-P00878/2017-2018/11475 स्थान: नई दिल्ली एफएफ की वैधता 31.12.2025 तक

**प्रप्र सं० एसबीएलटी. 3 ए याचिका के विवरण का विज्ञापन [देखें नियम 35]**

**इन्टरनैश्लनली आवेदन (आईबीसी) नं. 2021 का 4497 कम्पनी आवेदन (आईबी) सं. 717 (एनडी)/2019 याचिका को चुकाना**

आवेदक/ सितार्थ विवरोधता रि. लि. (पंजीकृत एसबीआर गीन डेडकॉर) के प्रदात कर्मी द्वारा 17.01.2025 को निर्देशन प्रथि के विवे दिवाला तथा दिवालिया सहित, 2016 के नियम 25 के साथ पठित धारा 60(5) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त आवेदन पर राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिनियम को नई दिल्ली पार्सल III धारा 21.02.2025 सुनवाई निर्धारित की गई है। उक्त आवेदन का सार्वजनिक अथवा निजी करने के वक्तूक कोई भी व्यक्ति अपने नाम एवं पते के साथ स्वयं अथवा अपने अधिन्याय द्वारा हस्तक्षरित अपने आवेद को चुकाना आवेदक के पास इस तरह से भेजें ताकि वह आवेदन को सुनवाई के विवे निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व आवेदक के पास पहुंच जावे। यदि वे आवेदन का विवे करना चाहे तो उस सूचना के साथ आर्पित के कारणों अथवा शक्य रूप का रिष प्रस्तुत करें। उसके विवे निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को अपेक्षारहित द्वारा आवेदन की एक प्रति उपलब्ध कराई जायेगी।

हस्ता:- दीपक कुमार गोयल प्रदातक वित्तार्थ विलक्षणता रि. लि. (प्रागेक एसबीआर गीन डेडकॉर) पंजी-नें: IB13/IPA-001/IP-P-02490-2022-23/14143 एफएफ की वैधता: 31 दिसम्बर, 2025 तक पता: 701 डिजिटल टावर, राजनंद पेय, नई दिल्ली-110008, ईमेल: cc.deepak.mba@gmail.com, ctrip.sbp@gmail.com, तिथि: 17.02.2025 सयक: 011-47100179- 9990045308

**केनरा बैंक Canara Bank** सिंडिकेटेड Syndicate

**वसूली अनुभाग: क्षेत्रीय कार्यालय हरिद्वार, चंदवानी मार्केट, आर्यनगर, स्मार्ट रिलायंस पॉइंट के ऊपर फोन: 0135-2716905**

**धारा 13 (2) विस्तृत आसितियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत नोटिस**

केनरा बैंक, हरिद्वार संबंधित शाखा द्वारा निम्न सम्पत्तियों को साम्पिक बंधक रखते हुये ऋण प्रदान किया गया। ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर, नियम एवं शर्तों के अनुसार ऋण को अदायगी करने में असफल रहे फलस्वरुप भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण खाता एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत हो गया। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बैंक देयों की वसूली हेतु सरफेसरी से अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया गया एवं रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपधारकर्ता/गारंटर को भेजा गया। ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर को सूचित किया जाता है कि इस मांग नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर बैंक के समस्त देयों (ब्याज, वसूली व्यय एवं प्रभार आदि) को भुगतान करें अन्यथा समस्त देयों की वसूली हेतु केनरा बैंक,हरिद्वार संबंधित शाखा सरफेसरी अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत एक उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति की कब्जा एवं नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। इसके अलावा, उक्त अधिनियम 13(13) के माध्यम से बिक्री/पट्टे या अन्वयता सुविधित परिसर/संपत्तियों को स्थानांतरित करना पड़सक होगा। "उपधारकर्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आसितियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

क्र.सं.	शाखा / ऋणी / गारंटर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	ऋण का प्रकार	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस को अनुसर करण का तिथि
1.	1. शाखा: कनकला हरिद्वार, ऋणी: श्री राजू द्वारा सुरक्षित, पता नं. 1 ई-39, यू.एन.ए. नगर, क्षेत्र नंबर 1, साधु परिवार, जिला पूरबी दिल्ली, दिल्ली। पता नं. 2: प्लॉट नं. 35 और 36 पार्सल नं. 56, धरम नं. 328/1 हनुमानपुर कुशीनी, जालंधर, पंजाब हरियाणा- 294908।	सम्पत्ति नं. 1: बंधक समी अवासोप संपत्ति प्लॉट नं. 35, भूमि क्षेत्रफल माप पूर्व- 30.7 फीट, पश्चिम- 30.6 फीट, उत्तर- 20 फीट और दक्षिण- 20 फीट जिसका कुल क्षेत्रफल माप 633 वर्गमीटर अर्थात 58.82 वर्गमीटर जिसका क्षेत्रफल नं. 328/एन/1, सिवार पार्सल नं. 56, हनुमानपुर पुरपुर गुरुद्वारा कुशीनी, ग्राम जगजीतपुर, जालंधर जिला हरियाणा। सीमाएं- पूर्व- प्लॉट नं. 36, पश्चिम- अन्य ब्याज बैंक प्लॉट, उत्तर- प्लांट फाउंडेशन की भूमि, दक्षिण- 20 फीट चौड़ी सड़क। Cersaid: 4000718111679, बंधक धारक का नाम- श्री राजू द्वारा सुरक्षित कुमार।	Housing Loan	10.02.2025	10.02.2025
2.	1. शाखा: हरिद्वार, जालंधर, ऋणी: श्री कृष्णपाल मुखिया शिवलाल सिंह, म.नं. 193, जगन्नाथपुर, कैंना, हरिद्वार - पञ्च प्रदेशों में, 2. राधा पत्नी कृष्णपाल, 193 का, जगन्नाथपुर कैंना, जालंधर, 3. सुभद्रा चौधरी पत्नी अरविन्द कुमार चौधरी, म.नं. 80, खाना नगर, जालंधर।	बंधक समी अवासोप संपत्ति प्लॉट नं. 36, भूमि क्षेत्रफल माप पूर्व- 26.5 फीट, उत्तर- 20 फीट और दक्षिण- 18 फीट जिसका कुल क्षेत्रफल माप 538.31 वर्गमीटर अर्थात 50.03 वर्गमीटर जिसका क्षेत्रफल नं. 328/एन/1, सिवार पार्सल नं. 56, हनुमानपुर गुरुद्वारा कुशीनी, ग्राम जगजीतपुर, जालंधर जिला हरियाणा। सीमाएं- पूर्व- अन्य की भूमि, दक्षिण- प्लॉट नं. 35, उत्तर- प्लांट फाउंडेशन की भूमि, दक्षिण- 20 फीट चौड़ी सड़क। Cersaid: 4000718111679, बंधक धारक का नाम- श्री राजू द्वारा सुरक्षित कुमार।	Housing Finance	10.02.2025	10.02.2025

**इण्डियन ओवरसीज बैंक**

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विद्यय सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली के नियम 8(6) / 9(1) के प्रावधानोंअंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 8(6) / 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसर/संपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ों) को सूचित किया जाता है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक के पास बंधककृत/प्रवर्तन निम्न विवरणित अचल संपत्तियों, जिन्का अधिदाता इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 'जैसी है वहाँ है', 'जैसी है जो है' एवं 'वहाँ को कुछ भी है' आधार पर यहाँ नीचे संबंधित विवरणों के अनुसार किया जायेगा:

क्र.सं.	ऋणकर्ताओं के नाम	इण्डियन ओवरसीज बैंक को देय राशि	अचल संपत्ति का विवरण	अधिकरण का प्रकार/सर्वे हेतु व्यक्तित्व	संपत्ति का आरक्षित मूल्य (आरक्षित मूल्य में आरक्षित राशि तथा बोली गुरुक	नीलामी की तिथि (आरक्षित मूल्य में आरक्षित मूल्य में आरक्षित राशि तथा बोली गुरुक
1.	1. मैसर्स वेल्ड पैज कम्युनिकेशंस 2. मैसर्स वेल्ड पैज कम्युनिकेशंस 3. मैसर्स वेल्ड पैज कम्युनिकेशंस 4. मैसर्स वेल्ड पैज कम्युनिकेशंस	रु. 35,81,70,544 /- 31,03,20,24 का अनुसर साथ में गांधी ब्याज और लापरत	फ्रीहोल्ड कमर्शियल शॉप नंबर एसबी-09 जिसका निर्मित क्षेत्रफल 286 वर्ग फीट (26.57 वर्ग मीटर) है, जयपुरिया सन्ताराज एरिया प्लॉट नंबर 12 ए में पहली मंजिल, अधिस्त खंड इंदिरापुरम, गांधियाबाद में स्थित है, श्री राजेश छात्राड और श्रीमती अनुजा छात्राड के नाम पर है। संपत्ति की सीमाएं: उत्तर- गणित्यारा, दक्षिण- अन्य दुकान, पूर्व: दुकान नंबर 10, पश्चिम: दुकान नंबर 8 (दिनांक 13.09.2024 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार) (यह संपत्ति बैंक के मॉरीक अधिग्रहण में है)	भौतिक अधिग्रहण	रु. 2,00 लाख	10/03/2025
2.	1. श्रीमती विष्णु वैश्य 2. श्रीमती मारुती वैशी 3. श्री विनाय वैश्य	रु. 5,48,52,135.00 /- 31,08,20,24 के अनुसर साथ में गांधी ब्याज और लापरत	लीज होल्ड संपत्ति तीसरी मंजिल दुकान निजी नंबर 2 (छत अधिकार			